निर्णय ब–इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 23/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये कल्याण सहाय करोल, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर द्वितीय। प्रार्थी

बनाम

मैसर्स रामस्वरूप पुत्र श्री सरदारा मल जाति गुर्जर, निवासी पीलवा रोड, चंदवाजी, आमेर । अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ व 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर क्षमता 19 कि॰ग्रा॰ व 5 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 03 गैस सिलेण्डर एवं 04 रेग्यूलेटर नोन एसआईएस मार्का को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जय प्रकाश बडसरा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैद्य भण्डारण एवं वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के साथ मैसर्स रामस्वरूप पुत्र श्री सरदारमल पीलवा रोड चन्दवाजी आमेर की जांच की गई। मौके पर श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सरदारमल उपस्थित मिले जिनकी मौजूदगी में जांच की गई। वक्त जांच मौके पर 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 19 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मकान में रखे हुये पाए गये । इसी क्रम में 03 छोटे गैस सिलेण्डर 5 कि॰ग्रा॰ क्षमता के नोन आईएसआई मार्का एवं 04 रेग्यूलेटर नोन आईएसआई मार्का भी मौके पर पाये गये । अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया गया है। अतः जब्तशुदा 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 19 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 03 छोटे गैस सिलेण्डर 5 कि॰ग्रा॰ क्षमता के नोन आईएसआई मार्का एवं 04 रेग्यूलेटर नोन आईएसआई मार्का को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 12.08.2024 को पारित किये

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स व अन्य सामान का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जय प्रकाश बडसरा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 14.200 कि.ग्रा. क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 19 कि.ग्रा. क्षमता के 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 03 छोटे गैस सिलेण्डर 5 कि.ग्रा. क्षमता के नोन आईएसआई मार्का एवं 04 रेग्यूलेटर नोन आईएसआई मार्का भी मौके पर पाये गये । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलण्डरों का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकत पैट्रोलियम गैस (प्रदान और वितरण का निनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति (Mens rea) एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः जब्त गैस सिलेण्डर अन्य सामान को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी का स्वयं का था और वाणिज्यक सिलेण्डर पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। रसद विभाग द्वारा गलत कार्यवाही करते हुये सिलेण्डर्स को जब्त किया गया है। अतः जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 07.06.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थी ने जब्त गैस सिलेण्डर्स स्वयं के होना बताया है, किन्तु पुष्टि में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषप्रद जबाब ही दिया गया है। वक्त जांच अप्रार्थी के पास छोटे नाने आईएसआईमार्का सिलेण्डर भी पाये गये है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के विभिन्न प्रकार के गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति (Mens rea) एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। फलस्वरूप जब्त शुदा 14.200 कि.ग्रा. क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 19 कि.ग्रा. क्षमता के 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 03 छोटे गैस सिलेण्डर 5 कि.ग्रा. क्षमता के नोन आईएसआई मार्का एवं 04 रेग्यूलेटर नोन आईएसआई मार्का को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 14.200 कि.ग्रा. क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 19 कि.ग्रा. क्षमता के 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 03 छोटे गैस सिलेण्डर 5 कि.ग्रा. क्षमता के नोन आईएसआई मार्का एवं 04 रेग्यूलेटर नोन आई एस आई मार्का को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 12.06.2024 को

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

धारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय प्रति हस्व कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)